

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा
95/2019

किरम मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
27.9.19

निर्णय दिनांक
26.11.2019

उनवान सरकार वनाम केवलराम पुत्र मोतीलाल निवासी गोठडा जिला झुन्झुनूं (राज0)

:- निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बुहाना की ओर से तहसीलदार बुहाना को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि स्टेट हाइवे 13 स्थान सिंधाना में स्टेट हाइवे 13 व एन0एच 11 मार्ग पर सा0नि0वि0 की सीमा में अतिक्रमण केवलराम पुत्र मोतीलाल निवासी गोठडा ने 5-10 मी0 की दुरी पर टैले लगाकर (स्थाई रूप से) अतिक्रमण कर रखा है सहायक अभियन्ता ने भी यह अभिकथन किया है कि इन सभी टैलों वालों का मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने को कहने के बाद भी आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

तहसीलदार बुहाना द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/1272 दिनांक 20.08.2019 को मुल प्रकरण नायब तहसीलदार सिंधाना को अतिक्रमीके विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु भिजवाया गया।

प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अतिक्रमी को धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी केवलराम पुत्र मोतीलाल निवासी गोठडा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया गया की जवाब पेश करने के लिये समय चाहा गया। जो अतिक्रमी को जवाब पेश करने के लिये समय दिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट सहायक अभियन्ता सा0नि0 वि0 बुहाना तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत विवादित अतिक्रमण की भूमि पर प्रभावहीन व सारहीन साधित होते हैं। अतः यह न्यायालय अतिक्रमी केवलराम पुत्र मोतीलाल निवासी गोठडा को एन. एच. 11 एवं सिंधाना सर्किल पर 5-10 मी0 की दुरी पर (स्थाई रूप से) टैले को अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर वेदखली के आदेश दिए जाते हैं।

सहायक अभियन्ता सा0नि.वि0 बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से वेदखल की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्वर से कम होकर दाखिल दफतर रहे।

उप तहसीलदार सिंधाना